

आशय-पत्र धारी

और

प्रसारण इंजीनियरी परामर्शदाता, भारत लिमिटेड (बेसिल)

के

मध्य एफएम रेडियो प्रसारण (चरण-11) के प्रसारण के लिए

सामान्य प्रसारण अवसंरचना (सीटीआई)

के लिए

परियोजना प्रबंधन करार

## यह परियोजना प्रबंधन करार

कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत कम्पनी ..... जिसका पंजीकृत कार्यालय ..... में है (इसमें इसके बाद "प्रथम पक्षकार" के रूप में उल्लेख किया गया है तथा इस अभिव्यक्ति में इस दस्तावेज में उल्लिखित इसके उत्तराधिकारी तथा अनुमति प्राप्त प्रतिनिधि शामिल होंगे) इस करार के प्रथम पक्षकार;

### और

प्रसारण इंजीनियरी परामर्शदाता इंडिया लिमिटेड जो कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत सरकारी कम्पनी है और जिसका मुख्यालय 14-बी, रिंग रोड, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002 में है (इसमें इसके बाद "बेसिल" के रूप में उल्लेख किया गया है और इस अभिव्यक्ति में इस दस्तावेज में उल्लिखित इसके उत्तराधिकारी तथा अनुमति प्राप्त प्रतिनिधि शामिल होंगे) इस करार के द्वितीय पक्षकार

### के मध्य

आज दिनांक ....., 2005 को सम्पन्न किया गया है।

(प्रथम पक्षकार और बेसिल का संयुक्त रूप से "पक्षकार" तथा अलग-अलग "पक्षकार" के रूप में उल्लेख किया गया है।)

जबकि भारत सरकार, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रथम पक्षकार को ..... में (शहर का नाम दर्शाएं) एफएम रेडियो स्टेशन को स्थापित करने, अनुरक्षित रखने तथा प्रचालित करने के लिए भारत सरकार के साथ अनुमति प्राप्त करने वाला करार सम्पन्न करने से पहले अन्य बातों के साथ-साथ बेसिल के साथ करार करने में सक्षम बनाने और

सामान्य प्रसारण अवसंरचना के लिए अपेक्षित राशि जमा करने के लिए आशय-पत्र (एलओआई) जारी कर दिया है;

और जबकि भारत सरकार द्वारा घोषित की गई चरण-1। एफएम रेडियो नीति के अनुसार सफल बोलीदाताओं को आकाशवाणी/दूरदर्शन (प्रसार भारती) के मौजूदा टावर/अथवा बेसिल द्वारा स्थापित किए जाने वाले टावर जैसा भी मामला हो, पर प्रसारण सुविधाओं को सह-स्थापित करना होगा तथा बेसिल को सामान्य सुविधाओं को एकीकृत करना होगा।

और जबकि प्रथम पक्षकार ने प्रसार भारती के साथ एक करार सम्पन्न किया है जिससे प्रसार भारती ने उपर्युक्त उल्लिखित शहर के लिए जमीन तथा टावर एपरेचर उपलब्ध कराने और एफएम रेडियो प्रसारण सुविधा की सामान्य सुविधाओं तथा अन्य उपस्कर के निर्माण, संस्थापन तथा प्रचालन के लिए सहमति व्यक्त की है।

और जबकि प्रथम पक्षकार ने सामान्य प्रसारण अवसंरचना (जिसे नीचे परिभाषित किया गया है) के निर्माण, संस्थापन, शुरू करने और पूरा करने के लिए बेसिल से परियोजना प्रबंधन सेवा प्रदान करने के लिए सम्पर्क किया है और बेसिल ऐसा करने का इच्छुक है।

## 1. परिभाषाएं

इस करार में उपर्युक्त परिभाषित शब्दों के अतिरिक्त और जब तक इस संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो निम्नलिखित शब्दों का यह अर्थ होगा :

"करार" का अर्थ इससे संबंधित अनुलग्नक जो पक्षकारों द्वारा लिखित रूप से समय-समय पर घट-बढ़ सकते हैं, सहित यह करार है;

"सामान्य प्रसारण अवसंरचना" (सीटीआई) का अर्थ एफएम रेडियो प्रसारण सुविधा के सामान्य उपस्कर तथा अन्य संबंधित अवसंरचना विशेष रूप से अनुलग्नक-1 में निर्धारित और उल्लिखित अवसंरचना तथा इस करार की निबंधन और शर्तों के अनुसार उस स्थल पर बेसिल द्वारा निर्मित, संस्थापित, शुरू और पूरी की जाने वाली अवसंरचना है;

"गोपनीय सूचना" का अर्थ इस करार के तहत किए गए सभी संव्यवहार तथा व्यापार से संबंधित सभी गुप्त कार्य, प्रक्रिया, उत्पाद और प्रत्येक पक्षकार के बिजनेस, प्रचालन, संव्यवहार अथवा कार्यों से संबंधित कोई अन्य सूचना है;

"लागतों" का अर्थ इस करार के खण्ड 5 में निर्धारित किए गए संदर्भ में यथा-अपेक्षित उपस्कर की अनुमानित और वास्तविक लागतें और प्रथम पक्षकार द्वारा बेसिल को सीटीआई के लिए उपस्कर प्राप्त करने के लिए अग्रिम रूप से दी गई अथवा दी जाने वाली राशि है;

"उपस्कर" का अर्थ विशेष रूप से अनुलग्नक-1 में यथा-निर्धारित और यथा-उल्लिखित सीटीआई पर संस्थापित किए गए उपस्कर (आयातित और देशज उपस्कर सहित किंतु प्रसारण और कार्यक्रम लिंक को छोड़कर) और इस करार की निबंधन और शर्तों के अनुसार स्थल पर आशय-पत्र धारी के लिए तथा की ओर से बेसिल द्वारा प्राप्त, संस्थापित और शुरू किए जाने वाले उपस्कर हैं;

"शुल्क" का अर्थ इस करार की निबंधन और शर्तों के अनुसार प्रथम पक्षकार की संतुष्टि के लिए बेसिल के सामान्य प्रसारण अवसंरचना के निर्माण, संस्थापन, शुरू और पूरा

करने पर विचार करते हुए प्रथम पक्षकार द्वारा बेसिल को देय इस करार के खण्ड 5 में यथा-निर्धारित परियोजना प्रबंधन शुल्क है;

"प्रसार भारती" (पीबी) का अर्थ प्रसार भारती अधिनियम, 1990 (भारतीय प्रसारण निगम) के तहत स्थापित एक सांविधिक निगम प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) है जिसका प्रधान कार्यालय पीटीआई बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली-110001 में है;

"सरकार" का अर्थ सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के माध्यम से प्रतिनिधित भारत सरकार है जिसका कार्यालय शास्त्री भवन, नई दिल्ली में स्थित है;

"प्रोग्राम लिंक" का अर्थ प्रथम पक्षकार के रेडियो स्टूडियो से आडियो सिग्नलों को प्राप्त करने तथा स्थल पर संस्थापित किए जाने वाले ट्रांसमीटर को प्रदान करने के लिए सभी विवरण और लिंक करने वाले उपस्कर तथा केबल हैं;

"परियोजना प्रबंधन सेवाओं" का अर्थ अनुलग्नक-11 में विशेष रूप से उल्लिखित तथा निर्धारित किए सीटीआई के निर्माण, संस्थापन, शुरू करने तथा पूरा करने के संबंध में बेसिल द्वारा प्रदान की जाने वाली परियोजना प्रबंधन सेवाएं हैं;

"स्थल" का अर्थ प्रसार भारती और प्रथम पक्षकार के मध्य और द्वारा सम्पन्न किए गए करार की निबंधन और शर्तों के अनुसरण में प्रसार भारती/सरकार द्वारा अंतिम रूप से आबंटित की गई जमीन और सरकार/प्रसार भारती का प्रसारण टावर (प्रथम पक्षकार के उपयोग के लिए सभी सामान्य क्षेत्रों सहित) है;

"ट्रांसमीटर" का अर्थ प्रथम पक्षकार द्वारा स्थल पर संस्थापित किए जाने वाला एफएम रेडियो प्रसारण ट्रांसमीटर है;

"आशय-पत्र धारी" और "आशय-पत्र धारियों" का अर्थ क्रमशः किसी विशेष शहर में सीटीआई से जुड़ने वाला एक आशय-पत्र धारी और आशय-पत्र धारियों की कुल संख्या है;

## 2. व्याख्या

2.1 किसी संविधि अथवा सांविधिक प्रावधानों के संबंध में इस करार में किए गए उल्लेख में उस संविधि अथवा सांविधिक प्रावधान में समय-समय पर संशोधित, आशोधित, विस्तारित अथवा पुनः अधिनियम चाहे इस करार की तारीख से पहले किया गया हो अथवा बाद में और फिलहाल लागू सभी आनुषंगिक सांविधिक लिखित, आदेश और विनियम का उल्लेख शामिल होगा।

## 3. परियोजना प्रबंधन सेवाएं

3.1 प्रथम पक्षकार ने एतद्वारा बेसिल को सीटीआई का निर्माण करने, संस्थापना करने, शुरू करने और पूरा करने संबंधी परियोजना प्रबंधन सेवाएं प्रदान करने के लिए नियुक्त किया है और बेसिल ने उक्त नियुक्ति को स्वीकार कर लिया है।

3.2 बेसिल **अनुलग्नक-III** में निर्धारित की गई समय-सीमा के अनुसार प्रथम पक्षकार को उसकी संतुष्टि के अनुरूप सीटीआई के निर्माण, संस्थापन, शुरू करने तथा पूरा करने के संबंध में प्रत्येक कार्यकलाप को पूरा करने के लिए सभी प्रासंगिक प्रयास करेगा बशर्ते सामान्य प्रसारण अवसंरचना (चाहे वह पूरा करने के किसी स्तर पर हो) और उपस्कर में प्रथम पक्षकार की सभी हिस्सेदारी अथवा उसके किसी भाग से संबंधित विधिक तथा लाभ संबंधी स्वामित्व और सभी अधिकार, हक तथा हित सदैव प्रथम पक्षकार के बने रहेंगे और बेसिल को कोई कानूनी अथवा इक्विटी में कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा तथा वह संबंधित सीटीआई अथवा उपस्कर के

सभी अथवा किसी भाग पर किसी समय पर हक का दावा नहीं करेगा अथवा इसके संबंध में कोई धारणाधिकार, प्रभार अथवा अन्य भार सृजित नहीं करेगा।

बेसिल के खण्ड 6 में यथा-निर्धारित कर्तव्य खण्ड 8 में यथा-निर्धारित सीटीआई के शुरू किए जाने पर स्वयं शुरू हो जाएंगे। किसी संदेह से बचने के लिए स्थल पर संस्थापित किए गए उपस्कर के निष्पादन के संबंध में एकमात्र उत्तरदायित्व प्रथम पक्षकार का होगा।

#### **4. इस करार के लागू होने की तारीख और अवधि**

यह करार यदि इसे इसके प्रावधानों के अनुसार समाप्त न किया गया तो उपर्युक्त प्रथम निर्धारित तारीख से तुरंत प्रभावी होगा और इसके पूरा होने तक तथा प्रथम पक्षकार की संतुष्टि के अनुरूप सामान्य प्रसारण अवसंरचना प्रदान करने तक जारी रहेगा। इस करार की अवधि को केवल दोनों पक्षकारों की लिखित सहमति के आधार पर ही बढ़ाया जा सकता है।

#### **5. शुल्क और व्यय**

5.1 बेसिल के सीटीआई के निर्माण, संस्थापन, शुरू करने तथा पूरा करने पर विचार करते हुए प्रथम पक्षकार बेसिल को वास्तविक निवल लागतों की अपनी हिस्सेदारी का (उपस्कर के आपूर्तिकर्ताओं द्वारा दी गई सभी छूट, रियायत तथा अन्य प्रोत्साहनों को घटाकर) भुगतान करेगा। सीटीआई की लागत के अतिरिक्त प्रथम पक्षकार बेसिल को परियोजना प्रबंधन सेवाएं प्रदान करने के लिए अपनी वास्तविक निवल लागतों की हिस्सेदारी के दस प्रतिशत (10 प्रतिशत) और इससे

संबंधित यथा-लागू सेवा कर के बराबर राशि प्रदान करेगा।

प्रथम पक्षकार द्वारा बेसिल को देय परियोजना की लागत इस प्रकार है :-

- (i) इस करार को सम्पन्न किए जाने के बाद उसी दिन अनुलग्नक-IV में यथा-उपबंधित अनुमानित लागतों की प्रथम पक्षकार की हिस्सेदारी (परियोजना प्रबंधन सेवाओं के शुल्क सहित) के लगभग सौ प्रतिशत (100 प्रतिशत) के रूप में ..... रूपए (..... रूपए केवल) की राशि का अग्रिम भुगतान।
- (ii) शुल्कों का उपर्युक्त भुगतान लागू आयकर कानूनों के अनुसार स्रोत पर कर कटौती की शर्त के अधीन होगा।
- (iii) वास्तविक व्यय के आधार पर लेखाओं का अंतिम निपटान अनुलग्नक-IV में यथा-उल्लिखित परियोजना के पूरा होने के बाद किया जाएगा।

5.2 किसी आशय-पत्र धारी के सीटीआई से हटने पर उसके द्वारा बेसिल को प्रदान की गई समग्र राशि (लागत तथा शुल्क) जब्त हो जाएगी। तथापि, यदि नया आशय-पत्र धारी इस परियोजना को पूरी किए जाने से पहले सीटीआई से जुड़ता है तो बेसिल अपने विवेक से लागत के लिए जब्त की गई पूरी राशि अथवा इसके किसी भाग को वापस कर सकता है।

## 6. बेसिल के कर्तव्य

6.1 बेसिल यह प्रसंविदा करता है तथा निम्नलिखित वचन देता है :-



- (i) यह प्रथम पक्षकार की संतुष्टि के अनुरूप अनुलग्नक-III में निर्धारित की गई समय-सीमा के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार परियोजना को पूरी करने का सर्वोत्तम प्रयास करेगा;
- (ii) यह सभी परियोजना प्रबंधन सेवाओं को परिश्रम से और व्यावसायिक रूप से प्रदान करेगा;
- (i) सामान्य प्रसारण अवसंरचना की प्रगति और पूरा होने के चरण का मूल्यांकन करने के लिए प्रथम पक्षकार के प्रतिनिधियों और इसके द्वारा विधिवत रूप से प्राधिकृत व्यक्तियों को उनके अनुरोध करने पर स्थल पर तत्काल और पूर्ण सुविधा उपलब्ध कराएगा;
- (ii) यह इस करार के तहत अपने कर्तव्यों को निष्पादित करने तथा पूरा करने में सभी लागू कानूनों और विनियमों अथवा किसी सदस्य प्राधिकारी के आदेशों (यथा-लागू श्रम और अन्य कानूनों और इस करार के अनुसार तैनात किए गए अथवा लगाए गए इसके कर्मचारियों, संविदाकारों, उप-संविदाकारों और व्यक्तियों को अभिशासित करने वाले विनियमों सहित की सीमा के बिना, का अनुपालन करेगा तथा इस प्रकार के कानून और विनियमों का अनुपालन करने में असफल रहने से उत्पन्न सभी देनदारियों, दावों, मांग, जुर्माने, दंड तथा अन्य परिणामों के संबंध में प्रथम पक्षकार को पूरी क्षतिपूर्ति करके तथा इससे संबंधित अन्य कर्तव्यों को पूरा करेगा;
- (iii) यह सामान्य प्रसारण अवसंरचना के निर्माण, संस्थापन, शुरू करने तथा पूरा करने तथा तृतीय पक्षकार के लिए परियोजना प्रबंधन सेवाओं का

प्रावधान करने के कार्य में लगाए गए सभी कर्मचारियों, संविदाकारों, उप-संविदाकारों तथा सभी व्यक्तियों की और स्थल पर किसी दुर्घटना अथवा असावधानीपूर्वक कार्य अथवा किसी भूल अथवा किसी अन्य कारण से उत्पन्न किन्हीं अन्य दावों के संबंध में पर्याप्त सार्वजनिक जिम्मेदारी, कामगार क्षतिपूर्ति, व्यक्तिगत दुर्घटना तथा किसी विख्यात बीमा कम्पनी के साथ अन्य बीमा कवर की अपनी लागत और खर्च से व्यवस्था (तथा प्रथम पक्षकार को बीमा पॉलिसी तथा बीमा प्रीमियम रसीद की एक प्रति प्रदान करेगा) करेगा; और

- (iv) यह संबंधित स्थल को सदैव स्वच्छ और सुव्यवस्थित रूप में रखेगा और यह सुनिश्चित करने के सभी आवश्यक उपाय करेगा कि स्थल पर बेकार, फालतू सामग्री अथवा अन्य निर्माण सामग्री इकट्ठी न हो;
- (v) यदि यह परियोजना किसी विशेष-बाध्यकारी कारण अथवा किसी प्राकृतिक कारण से शुरू नहीं की जाती, बंद कर दी जाती है अथवा पूरी नहीं की जाती है तो बेसिल प्रथम पक्षकार से प्राप्त अग्रिम भुगतान की उपयोग न की गई शेष तथा गैर-प्रतिबद्ध राशि को इस संबंध में मांग किए जाने पर परियोजना प्रबंधन शुल्क को छोड़कर, वापस करने का वचन देता है;
- (vi) बेसिल उपस्कर संस्थापित करेगी, इसकी जांच करेगी और इसे शुरू करेगी तथा यह सुनिश्चित करेगी कि उपस्कर के कार्य और निष्पादन इसकी प्रकाशित की गई विशेषताओं और विनिर्माता द्वारा इसके संबंध में प्रस्तुत की गई अन्य विशेषताओं के अनुसार प्रथम पक्षकार को संतुष्ट करने वाले हैं;

- (vii) सामान्य प्रसारण अवसंरचना के पूरा होने तथा आशय-पत्र धारियों के समूह की संतुष्टि के अनुरूप सफल स्वीकृति जांच (यदि लागू हो) के बाद बेसिल इसके निर्माण, संस्थापन, शुरू किए जाने के संबंध में प्रमाण-पत्र जारी करेगा;
- (viii) बेसिल यह वचन देता है तथा यह आश्वासन देता है कि सामान्य प्रसारण अवसंरचना को संभालने, संस्थापन, एकीकरण तथा शुरू करने के संबंध में हमारे द्वारा प्रदान की सेवाएं कार्यकुशलता में सभी कमियों से मुक्त हैं। यह आश्वासन प्रथम पक्षकार को सामान्य प्रसारण अवसंरचना सौंपने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए है। इस अवधि के दौरान बेसिल बिना किसी प्रभार के इस सामान्य प्रसारण अवसंरचना की कार्यकुशलता में होने वाली किसी कमी को प्रासंगिक कार्य के रूप में यथा-शीघ्र दूर करेगा। यह खण्ड इस करार की अवधि समाप्त होने तक/करार रद्द किए जाने तक और लेखाओं के अंतिम निपटान तक लागू रहेगा।

## 7. प्रथम पक्षकार के कर्तव्य

- 7.1 प्रथम पक्षकार प्रासंगिक तकनीकी सूचना बेसिल को प्रदान करेगा ताकि बेसिल सामान्य प्रसारण अवसंरचना के साथ कार्यक्रम लिंक तथा ट्रांसमीटर का तालमेल बैठाने में सक्षम हो सके।

- 7.2 प्रथम पक्षकार इस बात की पुष्टि करता है कि ट्रांसमीटर और कार्यक्रम लिंक का प्रापण, संस्थापन और शुरू किया जाना प्रथम पक्षकार का उत्तरदायित्व होगा।
- 7.3 प्रथम पक्षकार डब्ल्यूपीसी विंग, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय से फ्रीक्वेंसी आबंटन तथा एसएसीएफए अनुमोदन की प्रति प्राप्त करेगा और यथाशीघ्र बेसिल को प्रदान करेगा।
- 7.4 प्रथम पक्षकार बेसिल को यह परियोजना पूरी किए जाने के बाद और अनुमति की पूरी अवधि के दौरान इस करार के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए किसी समय पर सीटीआई की यथा-आवश्यक जांच करने की अनुमति प्रदान करने के लिए बाध्य होगा।

## **8. सामान्य प्रसारण अवसंरचना और इसे प्राप्त करने की प्रक्रियाविधि**

- 8.1 अनुलग्नक-1 में मद संख्या 1 पर यथा-सूचीबद्ध सीटीआई के विभिन्न उपस्कर का विनिर्दिष्टीकरण (प्रापण प्रक्रिया सहित) और सीटीआई के मुख्य घटक किसी शहर विशेष के संबंध में सभी आशय-पत्र धारियों में से प्रत्येक के एक-एक प्रतिनिधि तथा आकाशवाणी के एक प्रतिनिधि, जहां लागू हो, को शामिल करके गठित की गई समिति द्वारा आम सहमति से अथवा बहुमत वोट के आधार पर अनुमोदित किए जाएंगे। यदि इस संबंध में पक्ष और विपक्ष में समिति के बराबर-बराबर सदस्य हों तो बेसिल विनिर्दिष्टीकरण और/अथवा प्रापण जैसा भी मामला हो, के संबंध में निर्णय लेगा जो अंतिम और बाध्यकारी होगा। इस विनिर्दिष्टीकरण को इस प्रकार निर्धारित किया जाएगा कि सीटीआई को शुरू करने के बाद आकाशवाणी की मौजूदा सेवाओं की गुणवत्ता में कोई कमी न आए।

- 8.2 सभी आशय-पत्र धारी इस विनिर्दिष्टीकरण पर सहमत होंगे। यदि कोई आशय-पत्र धारी अथवा आकाशवाणी सहमत विनिर्दिष्टीकरण से उच्चतर विनिर्दिष्टीकरण का उपस्कर चाहता है तो वह लागत के अंतर को वहन करेगा।
- 8.3 उपस्कर और सामान्य प्रसारण अवसंरचना में विधिक तथा लाभकारी स्वामित्व और सभी अधिकार, हक तथा हित सदैव बने रहेंगे और आशय-पत्र धारियों के समूह में निहित रहेंगे न कि अलग-अलग आशय-पत्र धारियों में।
- 8.4 सभी उपस्कर के संबंध में परिबंधन अवधि उस शहर में पिछले चैनल को शुरू करने की तारीख से दस वर्ष तक होगी और किसी आशय-पत्र धारी को इस अवधि के दौरान अनुलग्नक-V में यथा-विनिर्दिष्ट उपस्कर वापस लेने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।

## 9. गोपनीयता

- 9.1 पक्षकार एक-दूसरे के प्रति निम्नलिखित प्रसंविदा करते हैं तथा वचन देते हैं :-
- (i) वे गोपनीय सूचना के संबंध में एक-दूसरे पर विश्वास करेंगे तथा इसे पूरी तरह बनाए रखेंगे;
- (ii) वे इस करार के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए प्रासंगिक रूप से यथा-आवश्यक को छोड़कर अन्य पक्षकार की गोपनीय सूचना के किसी भाग की कापी नहीं करेंगे, इसे पुनः तैयार नहीं करेंगे अथवा इसे लिखने में कमी नहीं करेंगे; तथा

(iii) वे किसी अन्य पक्षकार की गोपनीय सूचना को उसके कर्मचारियों, अभिकर्ताओं अथवा व्यावसायिक सलाहकारों को जब तक इसे "जानने की आवश्यकता" का आधार न हो तथा यह इस करार के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक न हो, प्रदान नहीं करेंगे।

9.2 खण्ड 9.1 के कर्तव्यों की गोपनीयता तथा इनकी जानकारी प्रदान न करना निम्नलिखित परिस्थिति में और इस सीमा तक लागू नहीं होगा कि :-

- (i) इस प्रकार की गोपनीय सूचना किसी अन्य पक्षकार के किसी दोष, कार्य अथवा भूल के बिना सार्वजनिक सूचना बन गई है अथवा इसका एक भाग बन गई है; अथवा
- (ii) इस प्रकार की गोपनीय सूचना इसकी जानकारी से पहले विधिसम्मत कब्जे में थी और किसी अन्य पक्षकार से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त नहीं की गई थी; अथवा
- (iii) इस प्रकार की गोपनीय सूचना की विधिसम्मत जानकारी किसी ऐसे तृतीय पक्षकार ने अन्य पक्षकार को दी है जो इस प्रकार की जानकारी के संबंध में किसी विधिक अथवा संविदाकारी प्रतिबंध के बिना उसे प्रदान कर सकता है; अथवा
- (iv) इस प्रकार की गोपनीय सूचना किसी अन्य पक्षकार की पूर्व-लिखित अनुमति से प्रकाशित करने के लिए स्पष्ट रूप से अनुमोदित की गई है; अथवा

(v) इस प्रकार की जानकारी किसी न्यायिक आदेश अथवा डिक्री के द्वारा अपेक्षित है, जिसके आधार पर यह :-

(क) अन्य पक्षकार को इस प्रकार की वास्तविक अथवा प्रत्याशित अपेक्षा के संबंध में सूचित करेगा;

(ख) इस प्रकार की जानकारी प्रदान करने का विरोध करने अथवा इसे सीमित करने के लिए सभी विवेकसम्मत उपाय करेगा अथवा इस प्रकार की जानकारी उन शर्तों पर प्रदान करेगा जिनसे इस सूचना की गोपनीयता को यथा-संभव सुरक्षित रखा जाएगा;

(ग) इस प्रकार के सभी उपाय करेगा जिनसे अन्य पक्षकार को अलग-अलग अथवा सामूहिक रूप से विधिसम्मत उपायों से इस प्रकार की जानकारी के संबंध में मामला दर्ज करने, इसका विरोध करने अथवा इसे सीमित करने के लिए विवेकसम्मत अवसर की अनुमति प्राप्त होगी अथवा अन्य पक्षकार के हितों के संरक्षण के लिए लागू कानून के तहत संरक्षण आदेश प्राप्त करने अथवा अन्यथा कार्यवाही करने की अनुमति प्राप्त होगी; और

(घ) यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना कि गोपनीय सूचना को विश्वास में लेकर प्रदान की गई सूचना माना गया है।

9.3 कोई पक्षकार अन्य संबंधित पक्षकार के पूर्व लिखित अनुमोदन के बिना किसी गोपनीय सूचना को प्रकाशित नहीं करेगा अथवा अन्यथा प्रकार से इसे सर्वसाधारण को उपलब्ध नहीं कराएगा अथवा किसी तृतीय पक्षकार को नहीं देगा।

- 9.4 पक्षकारों के गोपनीयता संबंधी कर्तव्य जारी रहेंगे और किसी कारण से इस करार को समाप्त किए जाने की स्थिति में इसके समाप्त होने की तारीख से पांच (5) वर्ष की अवधि के लिए बने रहेंगे।
- 9.5 पक्षकार यह स्वीकार करते हैं और इस बात से सहमत हैं कि गोपनीय सूचना के किसी अप्राधिकृत उपयोग अथवा इसकी जानकारी देने को रोकने अथवा इसकी प्रतिपूर्ति करने के लिए मौद्रिक क्षतिपूर्ति करना पर्याप्त नहीं होगा और इस प्रकार की गोपनीय सूचना के किसी वास्तविक अथवा धमकी के आधार पर उपयोग अथवा इसके संबंध में जानकारी प्रदान करने को रोकने के लिए व्यादेश संबंधी अथवा अन्य साम्ययुक्त सहायता उपयुक्त उपचार होगा।

## 10. आश्वस्ति

- 10.1 प्रत्येक पक्षकार एतद्वारा यह प्रस्तुत करता है और यह आश्वस्ति देता है कि :-
- (i) उसे इस करार को सम्पन्न करने का प्राधिकार है तथा उसमें विधिक क्षमता है;
  - (ii) उसने किसी अन्य तृतीय पक्षकार के साथ ऐसा कोई करार, व्यवस्था अथवा समझबूझ पैदा नहीं की है अथवा नहीं करेगा जो इस करार के प्रावधानों से टकराता हो अथवा टकराएगा; और



- (iii) उसमें ऐसी कोई अक्षमता, सीमा अथवा निषेध नहीं है जो उसे इस करार के तहत उसके किसी दायित्व अथवा कर्तव्य को निष्पादित करने अथवा अनुपालन करने से रोकता हो।

## 11. क्षतिपूर्ति करना

पक्षकार एक-दूसरे की क्षतिपूर्ति करने पर सहमत हैं और एक-दूसरे को तथा उनके निदेशकों, अधिकारियों, कर्मचारियों तथा अभिकर्ताओं को अन्य पक्षकार द्वारा इस करार के किसी वचन, प्रसंविदा, आश्वस्ति और कर्तव्यों के किसी उल्लंघन अथवा गैर-निष्पादन के कारण से किसी और सभी देयता, दावों, मांगों, हानियों (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष), क्षतियों तथा खर्चों (इसके अटार्नी शुल्क और अन्य लागतों की सीमा के बिना सहित) के संबंध में होने वाले नुकसान की पूर्णतः क्षतिपूर्ति करेंगे।

## 12. करार को समाप्त करना

यह करार स्वतः समाप्त हो जाएगा यदि :

- क. भारत सरकार ने आशय-पत्र धारी को जारी किया गया आशय-पत्र रद्द कर दिया है/वापस ले लिया है;
- ख. आशय-पत्र धारी खण्ड 5.1 में यथा-उपबंधित अनुमानित लागत की अपनी हिस्सेदारी का भुगतान करने में असफल रहता है।

## 13. विलम्ब के लिए उपचार

13.1 यदि बेसिल इस करार में निर्धारित की गई समय-सीमा के अनुसार अपनी ओर से किसी विलम्ब के कारण इस परियोजना को पूरा करने में सक्षम नहीं है तो बेसिल को अधिकतम 5 प्रतिशत तक पूरे सप्ताह के प्रति विलम्ब के अनुसार प्रथम पक्षकार को उसकी सीटीआई लागत हिस्सेदारी के 0.25 प्रतिशत की दर से परिसमापन क्षति का भुगतान करना होगा।

#### 14. विशेष आकस्मिक स्थिति

बेसिल किसी विशेष आकस्मिक स्थिति, जो ईश्वर के कार्यों तक सीमित नहीं है तथा जिसमें युद्ध, आग, दंगा, हड़ताल, प्राकृतिक आपदा इत्यादि अथवा इसके नियंत्रण से बाहर कोई अन्य कारण शामिल है, से होने वाले किसी विलम्ब के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

#### 15. अधिकार अथवा कर्तव्य न सौंपना

न तो बेसिल और न ही प्रथम पक्षकार इस करार के अन्य पक्षकार की लिखित अनुमति के बिना किसी तीसरे पक्षकार को इस करार को अथवा इसके तहत अपने किसी अधिकार अथवा कर्तव्य को सौंप सकता है। इस प्रकार सौंपा गया कोई अधिकार अथवा कर्तव्य शून्य होगा।

## 16. अभिशासन संबंधी कानून

यह करार भारत के कानूनों से अभिशासित होगा तथा इनके अनुसार लागू किया जाएगा।

## 17. विवाद-समाधान

17.1 इस करार के तहत पक्षकारों के मध्य पैदा होने वाले किसी विवाद को सचिव, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एकमात्र विवाचक को विचारार्थ भेजा जाएगा। कोई सरकारी अधिकारी भी विवाचक के रूप में नियुक्त किए जाने का पात्र होगा। इस प्रकार के विवाचन में विवाचन तथा सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधान भी लागू होंगे। इस प्रकार के विवाद के संबंध में केवल दिल्ली के न्यायालयों का क्षेत्राधिकार होगा यह खण्ड इस करार के समाप्त न होने तक बना रहेगा।

## 18. सूचनाएं

18.1 इस करार के किसी प्रावधान के संबंध में इस करार के तहत अथवा पक्षकारों को प्रदान करने के लिए अपेक्षित होने वाली कोई सूचना अथवा संचार लिखित में और अंग्रेजी भाषा में होगा और यदि सूचना देने वाले पक्षकार द्वारा अथवा उनकी ओर से उनके विधिवत रूप से प्राधिकृत अधिकारी ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं तो इसे विधिवत रूप से प्रदान की गई सूचना मानी जाएगी और यदि इसे किसी कोरियर सेवा द्वारा अथवा दस्ती प्रदान किया गया है अथवा पहले ही भुगतान किए गए पंजीकृत डाक द्वारा अथवा किसी स्थायी लिखित फार्म में अनुलिपि प्रसारण द्वारा भेजा गया है अथवा इस प्रकार की सूचना प्राप्त करने वाले पक्षकार

के पते पर ई-मेल के माध्यम से निम्न प्रकार अथवा यह इस खण्ड के उद्देश्यार्थ पक्षकारों के मध्य यथा-अधिसूचित तथा यथा-स्वीकृत माध्यम से प्रदान की गई है:-

<u>.....</u>	<u>बेसिल</u>
ध्यानाकर्षण :	ध्यानाकर्षण : श्री के.आर.पी. वर्मा,
पता :	सीएमडी/ श्री हरकेश गुप्ता, निदेशक (ओ एंड एम) पता : 14-बी, रिंग रोड, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002
टेलीफोन नं. :	टेलीफोन नं. : (091) 2337 8823
अनुलिपि प्रसारण संख्या :	अनुलिपि प्रसारण सं. : (091) 2337 9885
ई-मेल आईडी :	ई-मेल आईडी : becil@vsnl.com

18.2 निम्नलिखित परिस्थितियों में कोई सूचना अथवा अन्य संचार इसे प्राप्त करने वाले को प्रदान की गई अथवा किया गया माना जाएगा और प्राप्त की गई अथवा प्राप्त किया गया माना जाएगा :-

- (i) यदि यह दस्ती अथवा कोरियर सेवा द्वारा प्रदान की गई है तो इसे प्राप्त करने वाले पक्षकार के पते पर छोड़ा गया है अथवा उस पक्षकार के किसी प्रतिनिधि को सौंपा गया है;

- (ii) यदि पहले से ही भुगतान की गई पंजीकृत डाक द्वारा भेजा गया है तो इसे भेजने की तारीख से अगले तीन (3) दिनों में; और
- (iii) यदि अनुलिपि प्रसारण अथवा ई-मेल द्वारा भेजा गया है तो अनुलिपि प्रसारण अथवा ई-मेल प्राप्त होने पर।

## 19. विविध प्रावधान

- 19.1 किसी व्यक्ति के संदर्भ में प्राकृतिक व्यक्ति, निगम, फर्म, संघ अथवा अन्य कम्पनी का संदर्भ शामिल है; एकवचन में प्रयुक्त किए शब्दों में बहुवचन तथा बहुवचन में प्रयुक्त किए शब्दों में एकवचन शामिल है तथा किसी एक जेण्डर के संबंध में किए गए उल्लेख में सभी अन्य जेण्डर का उल्लेख शामिल है।
- 19.2 इस करार के शीर्षक केवल सुलभ संदर्भ के लिए है और ये इस करार की व्याख्या और निर्माण को प्रभावित नहीं करेंगे।
- 19.3 इस करार के तहत किसी अधिकार, शक्ति, विशेषाधिकार अथवा उपचार का प्रयोग करने के संबंध में इस करार से संबंधित किसी पक्षकार की ओर से की गई कोई असफलता अथवा विलम्ब को इस प्रकार के अधिकार, शक्ति, विशेषाधिकार अथवा उपचार की छूट के रूप में अथवा इस करार से संबंधित किसी अन्य पक्षकार द्वारा किसी पूर्ववर्ती अथवा बाद के उल्लंघन की छूट के रूप में नहीं माना जाएगा और न ही किसी अधिकार, शक्ति, विशेषाधिकार अथवा उपचार के एकल अथवा आंशिक प्रयोग से इस करार में यथा-उपबंधित ऐसे अथवा किसी अन्य अधिकार, शक्ति, विशेषाधिकार अथवा उपचार के किसी अन्य अथवा अतिरिक्त प्रयोग पर रोक लगेगी और ये सभी अलग-अलग और संचित स्वरूप के हैं और एक-दूसरे के साथ

अथवा कानून में अथवा किसी साम्य में किसी पक्षकार को अन्यथा उपलब्ध किसी अन्य अधिकार और उपचार से अनन्य रूप से नहीं जुड़े हैं।

- 19.4 यदि इस करार के किसी प्रावधान को किसी सक्षम क्षेत्राधिकार के किसी न्यायालय द्वारा शून्य, अवैध अथवा असमान रूप से बाध्यकारी माना गया है तो इस प्रकार के प्रावधान को यथा-अपेक्षित सीमा तक इस करार से अलग कर दिया जाएगा और इस करार के शेष प्रावधानों को संशोधित किए बिना उसे यथा-संभव सीमा तक अप्रभावी बना दिया जाएगा तथा इससे इस करार की वैधता अथवा इसे लागू करने पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- 19.5 यह करार अंग्रेजी भाषा में सम्पन्न किया गया है और इसे इसके प्रत्येक पक्षकार द्वारा अलग-अलग भाषाओं में सम्पन्न किया जा सकता है और यदि ऐसा किया गया तो इनमें से इस प्रकार सम्पन्न किया गया और प्रदान किया गया प्रत्येक करार भूल होगा किंतु इस प्रकार के काउंटरपार्ट्स एक साथ एक और वही लिखत होंगे।
- 19.6 यह करार इसके मामले में संबंधित पक्षकारों के मध्य समग्र करार है और यह इन पक्षकारों के मध्य सभी पहले और समसामयिक करारों और व्यवस्थाओं के अधिक्रमण में है और इसमें दिए गए वचनों, निबंधनों, शर्तों अथवा कर्तव्यों, मौखिक अथवा लिखित, व्यक्त अथवा निहित से भिन्न कोई वचन, निबंधन, शर्त अथवा कर्तव्य, मौखिक अथवा लिखित, व्यक्त अथवा निहित न तो है और न होगा तथा इस करार को इसके पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षर करके लिखित में की गई लिखत के द्वारा को छोड़कर, बदला, संशोधित अथवा परिवर्तित नहीं किया जाएगा।

19.7 इस करार को तैयार करने तथा सम्पन्न करने के संबंध में प्रत्येक पक्षकार अपनी-अपनी स्वयं की लागतों को वहन करेगा।

19.8 इस करार के पक्षकारों के मध्य संबंध का अर्थ किसी अभिकरण के साथ मुख्य अथवा भागीदारी संबंध स्थापित करना नहीं लगाया जाएगा।

जिसकी उपस्थिति में इससे संबंधित पक्षकारों ने इस करार को आज इसमें ऊपर पहले ही लिख दिया गया है, आज दिनांक ..... वर्ष ..... को सम्पन्न किया गया है।

..... के लिए तथा की ओर से सम्पन्न किया गया तथा प्रदान किया गया  .....  द्वारा : नाम : पद :	बेसिल के लिए तथा की ओर से    .....  द्वारा : नाम : पद :
--	---

निम्नलिखित गवाहों की उपस्थिति में :

1.

2.

## सामान्य प्रसारण अवसंरचना

- (I) सामान्य प्रसारण अवसंरचना (सीटीआई) के मुख्य घटक निम्नलिखित होंगे :
- एंटीना सिस्टम
  - आरएफ फीडर केबल और एसेसरीज
  - कॉम्बीनर्स
  - एंटीना स्विच फ्रेम
  - अलग-अलग आशय-पत्र धारियों के ट्रांसमीटरों की अपेक्षाओं सहित पूरी व्यवस्थज्ञा के लिए विद्युत आपूर्ति प्रणाली
  - अलग-अलग आशय-पत्र धारियों के ट्रांसमीटरों के लिए भवनों और सामान्य प्रसारण अवसंरचना स्थापित करने के लिए भवन संबंधी कार्य
- (II) अन्य विविध मदें :
- रिजिड लाइन और एसेसरीज
  - अलग-अलग आशय-पत्र धारियों के ट्रांसमीटरों को छोड़कर अन्य के लिए वातानुकूलन व्यवस्था
  - सामान्य प्रसारण अवसंरचना के अर्थिंग प्रणाली
  - सामान्य प्रसारण अवसंरचना में अग्निशमन उपस्कर
  - सामान्य प्रसारण अवसंरचना में तकनीकी फर्नीचर

**नोट :** उपर्युक्त उल्लिखित सामान्य प्रसारण अवसंरचना के ये घटक निम्नलिखित को छोड़कर होंगे :



- आशय-पत्र धारी की अपनी-अपनी ट्रांसमीटर व्यवस्था
- आशय-पत्र धारी का कार्यक्रम को प्राप्त करने वाला उपस्कर
- आशय-पत्र धारी की अलग-अलग ट्रांसमीटर व्यवस्था के लिए वातानुकूलन व्यवस्था
- आशय-पत्र धारी की ट्रांसमीटर व्यवस्था के भीतर विद्युत आपूर्ति वितरण व्यवस्था
- आशय-पत्र धारी की अलग-अलग ट्रांसमीटर व्यवस्था के लिए अग्निशमन उपस्कर।

सामान्य एफएम प्रसारण अवसंरचना स्थापित करने के लिए बेसिल द्वारा

प्रदान की जाने वाली परियोजना प्रबंधन सेवाएं

1. निम्नलिखित पैरामीटरों को अभिनिर्धारित करने के लिए परियोजना के प्रारंभिक डिजाइन को शामिल करके परियोजना की अवधारणा निर्धारित करना

- (क) भवन के स्थल की अपेक्षा का मूल्यांकन।
- (ख) ट्रांसमीटर की क्षमता।
- (ग) कम्बाइनर का प्रकार और स्वरूप।
- (घ) उपयोग किए जाने वाले एंटीना को प्राप्त करना।
- (ङ) एंटीना बे की संख्या।
- (च) कारगर विकिरण क्षमता।
- (छ) एंटीना के विकिरण पैटर्न के तकनीकी पैरामीटर।
- (ज) उपयोग की जाने वाली प्रसारण लाइनों का प्रकार।
- (झ) विद्युत आपूर्ति प्रणाली।
- (ञ) वातानुकूलन और वेंटिलेशन प्रणाली।

2. एसएसीएफए क्लियरेंस

आवेदन तैयार करना और प्रासंगिक फ्रीक्वेंसी आबंटन के लिए समन्वय करना तथा वायरलेस आयोजना तथा समन्वय विंग, संचार मंत्रालय की रेडियो फ्रीक्वेंसी

आबंटन से संबंधित स्थायी सलाहकार समिति (एसएसीएफए) से क्लियरेंस प्राप्त करना।

### 3. उपस्कर प्रापण

(क) निम्नलिखित उपस्कर को विनिर्दिष्ट करना

- कम्बाइनर
- एंटीना
- एंटीना स्विच पेनल
- फीडर केबल एवं एसेसरीज
- विद्युत आपूर्ति उपस्कर
- वेंटिलेशन उपस्कर

(ख) उपर्युक्त उपस्कर के लिये निविदा जारी करना।

(ग) उपस्करों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से निविदाओं का मूल्यांकन करना।

(घ) ..... के प्राधिकृत प्रतिनिधि के परामर्श से मुख्य उपस्कर विक्रेताओं/आपूर्तिकर्ताओं के साथ बातचीत करना।

(ङ) ..... की ओर से उपस्कर के लिए आदेश देना।

(च) अनिवार्य अनुमति, सीमा-शुल्क अनुमोदन प्राप्त करने और प्रत्येक केन्द्र के संबंध में सांविधिक अपेक्षाओं का अनुपालन करने में आशय-पत्र धारी की सहायता करना। इनसे संबंधित सभी प्रभार ग्राहक वहन करेगा।

#### **4. भवन**

- (क) ट्रांसमीटर भवन का तकनीकी डिजाइन और मानचित्र।
- (ख) ट्रांसमीटर भवनों के निर्माण के लिए निविदा जारी करना तथा निर्माण कार्य सौंपना।
- (ग) ट्रांसमीटर भवनों के निर्माण का तकनीकी पर्यवेक्षण।

#### **6. विद्युत आपूर्ति प्रणाली**

- (क) विद्युत आपूर्ति अपेक्षा का आकलन करना।
- (ख) बैकअप व्यवस्था सहित विद्युत आपूर्ति व्यवस्था।
- (ग) संस्थापन के संबंध में उपस्कर के आपूर्तिकर्ताओं के साथ तालमेल बैठाना।

#### **7. वेंटिलेशन और वातानुकूलन प्रणाली**

- (क) वातानुकूलन प्रणाली की श्रेणी का आकलन।
- (ख) वातानुकूलन प्रणाली का प्रापण।
- (ग) इस पद्धति के डिजाइन और संस्थापन के संबंध में आपूर्तिकर्ताओं/विक्रेताओं के साथ तालमेल बैठाना।

#### **8. उपस्कर की जांच करना और इसे प्राप्त करना**

- (क) उपस्कर जांच करना।
- (ख) स्थल पर उपस्कर को प्राप्त करना।
- (ग) उपस्कर की प्रकाशित विशेषताओं के साथ इसकी कमियों, हानियों, कमजोर कार्य-कुशलता तथा अन्य गैर-अनुपालन की जांच करना।

## 9. उपस्कर के संस्थापन का समन्वय एवं पर्यवेक्षण करना

- (क) एंटीना प्रणाली।
- (ख) कम्बाइनिंग प्रणाली।
- (ग) फीडर केबल और इससे सम्बद्ध उपस्कर।
- (घ) विद्युत आपूर्ति उपस्कर।
- (ङ.) वेंटिलेशन उपस्कर।

## 10. संस्थापन कार्य पूरा करने के बाद परियोजना की जांच करना

- (क) संस्थापन के तकनीकी निष्पादन के लिए इसकी जांच करना।
- (ख) निष्पादन आंकड़ों की जांच करना।

## 11. अनुरक्षण संबंधी कार्य सौंपना तथा इसके बारे में सलाह लेना

- (क) कार्य सौंपने संबंधी दस्तावेज तैयार करना।
- (ख) माल प्रबंधन के बारे में सलाह देना।

## 12. समन्वय बैठकें आयोजित करना

बेसिल संबंधित प्रथम पक्षकार (पक्षकारों) के साथ आवधिक समन्वय बैठकें निर्धारित करेगा। इस बैठक में उपस्थित होने के लिए अपना प्रतिनिधि नियुक्त करने के संबंध में प्रथम पक्षकार (पक्षकारों) को कम से कम 24 घण्टे पहले सूचना दी जाएगी। बेसिल संबंधित बैठक का कार्यवृत्त प्रथम पक्षकार (पक्षकारों) को पुष्टि और अनुमोदन के लिए भेजेगा।

**समय-सीमा**

यह समय-सीमा प्रसार भारती टावर तत्काल उपलब्ध होने के मामले में इस करार को सम्पन्न करने और किसी विशेष शहर के लिए सामान्य प्रसारण अवसंरचना में शामिल होने पर सभी आशय-पत्र धारियों द्वारा अनुमानित पूंजीगत लागत का भुगतान करने की तारीख से 12 माह अथवा सभी आशय-पत्र धारियों द्वारा एसएसीएफए अनुमोदन प्रस्तुत करने की तारीख से 11 माह इनमें से जो भी बाद में हो, होगी।

सरकार द्वारा टावर बनाए जाने के मामले में यह समय-सीमा इस करार को सम्पन्न करने और किसी विशेष शहर के लिए सामान्य प्रसारण अवसंरचना में शामिल होने पर सभी आशय-पत्र धारियों द्वारा अनुमानित पूंजीगत लागत का भुगतान करने की तारीख से 12 माह अथवा सभी आशय-पत्र धारियों द्वारा एसएसीएफए अनुमोदन प्रस्तुत करने की तारीख से 11 माह अथवा टावर के निर्माण की तारीख से 2 माह इनमें से जो भी बाद में हो, होगी।

**उदाहरण :** यदि किसी विशेष शहर अर्थात दिल्ली के लिए दिनांक 04.5.06 , 08.5.06, 15.5.06, 26.5.06 और 02.6.06 को करार सम्पन्न किए गए हैं तो 12 माह की गणना अंतिम आशय-पत्र धारी द्वारा करार सम्पन्न करने की तारीख से की जाएगी।

इसी प्रकार, यदि एसएसीएफए अनुमोदन दिनांक 15.5.06, 20.5.06, 28.5.06, 07.6.06 और 17.6.06 को प्रस्तुत किया गया है तो 11 माह की गणना अंतिम अनुमोदन प्रस्तुत करने की तारीख अर्थात 17.6.06 से

की जाएगी। इस मामले में 12 माह की समय-सीमा दिनांक 02.6.06 के बाद में होने कारण इससे ही की जाएगी। तथापि, यदि अंतिम अनुमोदन दिनांक 10.7.06 को प्रस्तुत किया जाता है तो यह समय-सीमा दिनांक 10.7.06 से 11 माह होगी।

दिनांक 31.5.07 को टावर का निर्माण पूरा कर लेने के मामले में यह समय-सीमा इसके बाद दो माह अर्थात् 31.7.07 तक होगी। यदि टावर का निर्माण अंतिम करार सम्पन्न किए जाने की तारीख से 12 माह समाप्त होने से दो महीने पहले अथवा अंतिम एसएसीएफए अनुमोदन प्रस्तुत करने की तारीख से 11 माह में कर लिया जाता है तो इस समय-सीमा की गणना तदनुसार की जाएगी।

**नोट :** किसी आशय-पत्र धारी की ओर से करार सम्पन्न करने अथवा एसएसीएफए अनुमोदन प्राप्त करने और प्रस्तुत करने में अनुचित अथवा जानबूझकर विलंब किए जाने के मामले में बेसिल को सामान्य प्रसारण अवसंरचना परियोजना के कार्यान्वयन को शुरू करने का अधिकार होगा। यदि पहले ही मुख्य घटकों के आदेश जारी कर दिए गए हैं तो बाद में इस प्रकार के आशय-पत्र धारी को सामान्य प्रसारण अवसंरचना में शामिल होने की अनुमति न दी जाए।

निजी एफएम चरण-1। के तहत 91 शहरों में सामान्य

प्रसारण अवसंरचना की अनुमानित लागत

1. अनुमानित लागत की गणना

सामान्य प्रसारण अवसंरचना की लागत उन मानक घटकों के आधार पर निर्धारित की जाती रही है जिनका उपयोग चरण-1 में तीन महानगरों में एफएम स्टेशनों के सह-स्थान के दौरान किया जाता रहा है। सह-स्थान पर स्थापित स्टेशन सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। नीचे दिए गए अनुमानों के आधार पर अत्यधिक पहुंच वाले एंटीना को कम क्षमता वाले ट्रांसमीटर के साथ जोड़कर इष्टतम रेडियो कवरेज प्राप्त करने के लिए इस प्रणाली को डिजाइन किया गया है। इस प्रकार के डिजाइन से बिजली के बिल में कमी आएगी जिससे अनुरक्षण लागत कम होगी तथा प्रचालन लागत में भी कमी आएगी। प्रत्येक श्रेणी के स्टेशन के लिए यह लागत अलग से निर्धारित की गई है। इस अनुमानित लागत में उपस्कर और कार्यों की अनुमानित लागत के 10 प्रतिशत की दर से बेसिल का परियोजना प्रबंधन शुल्क शामिल है। अंतिम लागत में परियोजना प्रबंधन शुल्क के 10.2 प्रतिशत की दर से सेवाकर भी शामिल किया जाएगा।

विभिन्न श्रेणी के शहरों अर्थात् क+, क, ख, ग, और घ की अनुमानित लागत **अनुलग्नक-IV-क** के रूप में संलग्न है। इस गणना के आधार पर विभिन्न श्रेणी के स्टेशनों के लिए प्रत्येक प्रसारणकर्ता की पूंजीगत लागत की अनुमानित हिस्सेदारी नीचे दी गई है :-



क्र.सं.	श्रेणी	प्रत्येक प्रसारणकर्ता की पूंजीगत लागत की अनुमानित हिस्सेदारी (लाख रु. में)
1	क+	108.00
2	क	97.00
3	ख	75.00
4	ग	65.00
5	घ	45.00

### अनुमान

- (i) सामान्य प्रसारण अवसंरचना (सीटीआई) की लागत की उपर्युक्त प्रक्षेपित हिस्सेदारी इस सामान्य प्रसारण अवसंरचना में शामिल होने वाले आशय-पत्र धारियों की संख्या के आधार पर है जैसे प्रत्येक श्रेणी के सामने नीचे उल्लेख किया गया है। तथापि, आशय-पत्र धारियों की संख्या में वृद्धि अथवा कमी होने के मामले में प्रत्येक आशय-पत्र धारी की लागत हिस्सेदारी में तदनुसार घट-बढ़ होंगी।

क्र.सं.	श्रेणी	अनुमान निर्धारित करने के उद्देश्य से सीटीआई में हिस्सेदारी करने वाले आशय-पत्र धारियों की संख्या
1	क+	4
2	क	4
3	ख	3
4	ग	3
5	घ	2

- (ii) उपस्कर की अनुमानित लागत वर्तमान प्रचलित कीमतों के आधार पर है। अंतिम लागत उपस्कर को प्राप्त करते समय वास्तविक कीमत के आधार पर वसूल की जाएगी।
- (iii) आयातित उपस्कर के मामले में अनुमानित लागत 1 यूएस डालर=45 भारतीय रूपए और 1 यूरो = 55 भारतीय रूपए की विदेशी विनिमय दर और 34.43 प्रतिशत की दर से लागू सीमा शुल्क के आधार पर है। वास्तविक लागत निर्धारित करने के लिए विभिन्न मर्दों को प्राप्त करते समय प्रचलित विनिमय दर को ध्यान में रखा जाएगा।
- (iv) इस समय सेवा कर परामर्श शुल्क का 10.2 प्रतिशत है। अंतिम लेखाओं के निपटारे के समय लागत सेवा कर की दर को ध्यान में रखकर वास्तविक लागत निर्धारित की जाएगी।
- (v) इस अनुमानित लागत में टावर और जमीन का किराया शामिल नहीं किया गया है जिसका भुगतान आशय-पत्र धारी प्रसार भारती को करेगा।

## 2. अंतिम लेखाओं का निपटारा

- 2.1 वास्तविक व्यय के आधार पर लेखाओं का अंतिम निपटारा परियोजना पूरी होने के दो माह के भीतर अथवा विद्युत प्राधिकरणों जैसे अन्य अभिकरणों के साथ लेखाओं के अंतिम निपटारे के एक माह के भीतर इनमें से जो भी बाद में हो, किया जाएगा।

2.2 किए गए व्यय के लेखाओं का विवरण अंतिम निपटारे के लिए आशय-पत्र धारी को प्रस्तुत किया जाएगा। वास्तविक व्यय की राशि आशय-पत्र धारी द्वारा जमा की गई राशि से कम होने के मामले में अतिरिक्त राशि आशय-पत्र धारी को वापस की जाएगी। परियोजना की वास्तविक लागत आशय-पत्र धारी द्वारा जमा की गई राशि से अधिक होने के मामले में आशय-पत्र धारी शेष राशि का भुगतान बेसिल को करेगा। बेसिल को देय शेष राशि का भुगतान आशय-पत्र धारी द्वारा न किए जाने की अवधि के दौरान बेसिल सामान्य प्रसारण अवसंरचना का अभिरक्षक बना रहेगा और प्रथम पक्षकार को विलम्ब से उपर्युक्त भुगतान करने के लिए पीएलआर + 2 प्रतिशत वार्षिक की दर से क्षतिपूर्ति भुगतान करना होगा।

## अनुलग्नक-IV-क

विभिन्न श्रेणियों के स्टेशनों के लिए सामान्य प्रसारण अवसरंचना की

अनुमानित लागत का सार

### 1. क+ श्रेणी :

क्र.सं.	विवरण	कुल लागत (रु. लाख में)
1	आयातित मर्दे	287.06
2	देशज मर्दे	145.33
	कुल :	432.39
	चार प्रसारणकर्ताओं में से प्रत्येक की हिस्सेदारी :	108.10
	कह सकते हैं रु. :	108.00

### 2. क श्रेणी :

क्र.सं.	विवरण	कुल लागत (रु. लाख में)
1	आयातित मर्दे	241.11
2	देशज मर्दे	145.33
	कुल :	386.44
	चार प्रसारणकर्ताओं में से प्रत्येक की हिस्सेदारी :	96.61
	कह सकते हैं रु. :	97.00

3. ख श्रेणी :

क्र.सं.	विवरण	कुल लागत (रु. लाख में)
1	आयातित मर्दे	110.01
2	देशज मर्दे	113.8
	कुल :	223.81
	तीन प्रसारणकर्ताओं में से प्रत्येक की हिस्सेदारी :	74.60
	कह सकते हैं रु. :	75.00

4. ग श्रेणी :

क्र.सं.	विवरण	कुल लागत (रु. लाख में)
1	आयातित मर्दे	107.36
2	देशज मर्दे	88.76
	कुल :	196.12
	तीन प्रसारणकर्ताओं में से प्रत्येक की हिस्सेदारी :	65.37
	कह सकते हैं रु. :	65.00

5. घ श्रेणी :

क्र.सं.	विवरण	कुल लागत (रु. लाख में)
1	आयातित मर्दे	46.61
2	देशज मर्दे	45.51
	कुल :	92.12
	दो प्रसारणकर्ताओं में से प्रत्येक की हिस्सेदारी :	46.06

	कह सकते हैं रु. :	46.00
--	-------------------	-------

प्रत्येक श्रेणी के स्टेशनों के लिये अनुमान का ब्यौरा संलग्न है।

श्रेणी 'क+' स्टेशनों पर सह-स्थान ट्रांसमीटर के चार प्रसारणकर्ताओं द्वारा सामान्य प्रसारण अवसंरचना में की गई हिस्सेदारी का लागत अनुमान

**ख. देशज घटक**

क्र.सं.	मद	मात्रा	दर (रु. लाख में)	राशि (रु. लाख में)
1	भवन			
	(क) ट्रांसमीटर और कम्बाइनर कक्ष, केबल के लिए खुदाई, हैवी इयूटी फ्लोरिंग, आंतरिक-विभाजन इत्यादि से संबंधित निर्माण कार्य (वर्ग मीटर)	262	0.08	20.96
	(ख) जमीन को तैयार करने से संबंधित कार्य सहित विभिन्न प्लेटफार्म और शेड जिनका उपयोग जेनरेटर, डिश, विद्युत आपूर्ति यार्ड इत्यादि के लिए किया जाना है, का निर्माण (वर्ग मीटर)	408	0.04	16.32
2	एचटी ट्रांसफार्मर, सम्बद्ध स्विच गियर, केबल, अर्थिंग पिट और विद्युत प्राधिकरणों को भुगतान किए जाने वाले कनेक्शन प्रभार सहित 248 केवीए के संबंधित भार के लिए मुख्य विद्युत आपूर्ति प्रणाली	1	23.21	23.21
3	एएमएफ पैनल, वितरण केबल तथा ध्वनि	2	24.2	48.4

	संबंधी सहायक उपकरण जैसी एसेसरीज सहित 275 केवीए की डीजल जेनरेटर की वैकल्पिक विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था			
4	3x3 टन का वातुनकूलन संयंत्र	3	0.9	2.7
5	अर्थिंग (लॉट)	1	4	4
6	अग्निशमन, तकनीकी फर्नीचर, विविध यंत्र इत्यादि (लॉट)	1	3.5	3.5
			8	8
7	आरएफ केबल ट्रे सहित एंटीना और फीडर केबल की व्यवस्था			
	<b>(ख) का उप-जोड़ :</b>			<b>127.09</b>
8	3 प्रतिशत की दर से आकस्मिक व्यय			3.81
	<b>कुल :</b>			<b>130.90</b>
9	कुल लागत के 10 प्रतिशत की दर से व्यावसायिक प्रभार			13.09
10	व्यावसायिक प्रभार के 10.2 प्रतिशत की दर से सेवाकर			1.34
	<b>सकल योग :</b>			<b>145.33</b>



श्रेणी 'क+' स्टेशनों पर सह-स्थान ट्रांसमीटर के चार प्रसारणकर्ताओं द्वारा सामान्य प्रसारण अवसंरचना में की गई हिस्सेदारी का

लागत अनुमान

क. आयातित घटक

क्र.सं.	विवरण	मात्रा	मुद्रा	एफ.ओ.बी. यूनिट मूल्य	भारतीय रूपर में एफ.ओ.बी. यूनिट मूल्य (एफओबी x ईआर) (ईआर:1 यूएस डॉलर =45 भारतीय रूपर) 1 यूरो= 55 भारतीय रूपर	भाड़ा एवं बीमा (% में)	सीआईएफ यूनिट मूल्य (भारतीय रूपर का मूल्य x एफ और आई)	सीमा शुल्क (सीआईएफx 0.34443**) (**सीडी 34.443% की दर से)	जमीन यूनिट लागत	आकस्मिक लागत सहित लागत (3% की दर से)	10% की दर से बेसिल सेवा प्रभार और 10.2% की दर से सेवा प्रभार पर सेवा कर सहित कुल लागत (कुल 11.02 प्रतिशत)	कुल लागत
---------	-------	--------	--------	----------------------------	--	------------------------------------	---	---	--------------------	--	---	----------

	एंटीना और आरएफ फीडर सिस्टम											
1	माउंटिंग इंटरफेस (160 किलोवाट) सहित डबल केबल फीडिंग के लिए 8x4 पैनल का एंटीना	1	यूएसडी	170,080.00	7,653,600.00	15%	8,801,640.00	3,031,548.87	11,833,188.87	12,188,184.53	13,531,322.47	13,531,322.47
2	2x5" आरएफ फीडर केबल और एसेसरीज (2x230 मीटर)	1	यूरो	55,838.00	3,071,090.00	30%	3,992,417.00	1,375,108.19	5,367,525.19	5,528,550.94	6,137,797.26	6,137,797.26
3	एंटीना स्विच फ्रेम (80 किलोवाट, 4-1/2" रिजिड	1	यूएसडी	14,400.00	648,000.00	15%	745,200.00	256,669.24	1,001,869.24	1,031,925.31	1,145,643.48	1,145,643.48

	लाइन)											
4	(दो आऊटपुट केबल के लिए) ट्यूब सहित डिहाइड्रेटर	2	यूरो	1,499.40	82,467.00	12%	92,363.04	31,812.60	124,175.64	127,900.91	141,995.59	283,991.18
5	एएसएफ से जोड़ने तथा एएसएफ को आऊटपुट फीडर से जोड़ने के लिए रिजिड लाइन और एसेसरीज	1	यूएसडी	9,204.00	414,180.00	15%	476,307.00	164,054.42	640,361.42	659,572.26	732,257.13	732,257.13
6	टेस्ट अडेप्टर (सेट)	1	यूएसडी	2,451.00	110,295.00	15%	126,839.25	43,687.24	170,526.49	175,642.29	194,998.07	194,998.07
7	एसेसरीज सहित कम्बाइनर बाईपास	1	यूएसडी	500.00	22,500.00	15%	25,875.00	8,912.13	34,787.13	35,830.74	39,779.29	39,779.29

	<b>आरएफ कम्बाइनर्स</b>											
8	10 किलोवाट एनबी इनपुट 1-5/8" (6 नम्बर का 1 सेट) के लिए संतुलित 3पी आरएफ कम्बाइनर	1	यूएसडी	68,010.00	3,060,450.00	15%	3,519,517.50	1,212,227.41	4,731,744.91	4,873,997.26	5,410,778.70	5,410,778.70
	<b>विक्रेता द्वारा संस्थापन एवं पर्यवेक्षण</b>											
9	विदेशी इंजीनियर को भुगतान किए जाने वाला	1	यूएसडी	21,900.00	985,500.00	0%	985,500.00		985,500.00	1,015,065.00	1,126,925.16	1,126,925.16



श्रेणी 'क' स्टेशनों पर सह-स्थान ट्रांसमीटर के चार प्रसारणकर्ताओं द्वारा सामान्य प्रसारण अवसंरचना में की गई हिस्सेदारी का लागत अनुमान

ख. देशज घटक

क्र.सं.	मद	मात्रा	दर (रु. लाख में)	राशि (रु. लाख में)
1	भवन			
	(क) ट्रांसमीटर और कम्बाइनर कक्ष, केबल के लिए खुदाई, हैवी इयूटी फ्लोरिंग, आंतरिक-विभाजन इत्यादि से संबंधित निर्माण कार्य (वर्ग मीटर)	262	0.08	20.96
	(ख) जमीन को तैयार करने से संबंधित कार्य सहित विभिन्न प्लेटफार्म और शेड जिनका उपयोग जेनरेटर, डिश, विद्युत आपूर्ति यार्ड इत्यादि के लिए किया जाना है, का निर्माण (वर्ग मीटर)	408	0.04	16.32
2	एचटी ट्रांसफार्मर, सम्बद्ध स्विच गियर, केबल, अर्थिंग पिट और विद्युत	1	23.21	23.21

	प्राधिकरणों को भुगतान किए जाने वाले कनेक्शन प्रभार सहित 248 केवीए के संबंधित भार के लिए मुख्य विद्युत आपूर्ति प्रणाली			
3	एएमएफ पैनल, वितरण केबल तथा ध्वनि संबंधी सहायक उपकरण जैसी एसेसरीज सहित 275 केवीए की डीजल जेनरेटर की वैकल्पिक विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था	2	24.20	48.40
4	3x3 टन का वातुनकूलन संयंत्र	3	0.90	2.70
5	अर्थिंग (लॉट)	1	4.00	4.00
6	अग्निशमन, तकनीकी फर्नीचर, विविध यंत्र इत्यादि (लॉट)	1	3.50	3.50
7	आरएफ केबल ट्रे सहित एंटीना और फीडर केबल की व्यवस्था		8.00	8.00
	<b>(ख) का उप-जोड़ :</b>			<b>127.09</b>
8	3 प्रतिशत की दर से आकस्मिक व्यय			3.81
	<b>कुल :</b>			<b>130.90</b>
9	कुल लागत के 10 प्रतिशत की दर से व्यावसायिक प्रभार			13.09

10	व्यावसायिक प्रभार के 10.2 प्रतिशत की दर से सेवाकर		1.34
	<b>सकल योग :</b>		<b>145.33</b>



श्रेणी 'क' स्टेशनों पर सह-स्थान ट्रांसमीटर के चार प्रसारणकर्ताओं द्वारा सामान्य प्रसारण अवसंरचना में की गई हिस्सेदारी का लागत अनुमान

क. आयातित घटक

क्र.सं.	विवरण	मात्रा	मुद्रा	एफ.ओ.बी. यूनिट मूल्य	भारतीय रूपए में एफ.ओ.बी. यूनिट मूल्य (एफओबी x ईआर) (ईआर:1 यूएस डॉलर =45 भारतीय रूपए) 1 यूरो= 55 भारतीय रूपए	भाड़ा एवं बीमा (% में)	सीआईएफ यूनिट मूल्य (भारतीय रूपए का मूल्य x एफ और आई)	सीमा शुल्क (सीआईएफx 0.34443** ) (**सीडी 34.443% की दर से)	जमीन यूनिट लागत	आकस्मिक लागत सहित लागत (3% की दर से)	10% की दर से बेसिल सेवा प्रभार और 10.2% की दर से सेवा प्रभार पर सेवा कर सहित कुल लागत (कुल 11.02 प्रतिशत)	कुल लागत
---------	-------	--------	--------	----------------------------	--	------------------------------------	---	--	--------------------	--	---	----------

	एंटीना और आरएफ फीडर सिस्टम											
1	माउंटिंग इंटरफेस (160 किलोवाट) सहित डबल केबल फीडिंग के लिए 6x4 पैनल का एंटीना	1	यूएसडी	127,560.00	5,740,200.00	15%	6,601,230.00	2,273,661.65	8,874,891.65	9,141,138.40	10,148,491.85	10,148,491.85
2	2x5" आरएफ फीडर केबल और एसेसरीज (2x180 मीटर)	1	यूरो	43,698.96	2,403,442.80	30%	3,124,475.64	1,076,163.14	4,200,638.78	4,326,657.95	4,803,455.65	4,803,455.65
3	एंटीना स्विच फ्रेम (80 किलोवाट, 4-1/2" रिजिड	1	यूएसडी	14,400.00	648,000.00	15%	745,200.00	256,669.24	1,001,869.24	1,031,925.31	1,145,643.48	1,145,643.48

	लाइन)											
4	(दो आऊटपुट केबल के लिए) ट्यूब सहित डिहाइड्रेटर	2	यूरो	1,499.40	82,467.00	12%	92,363.04	31,812.60	124,175.64	127,900.91	141,995.59	283,991.18
5	एएसएफ से जोड़ने तथा एएसएफ को आऊटपुट केबलों से जोड़ने के लिए रिजिड लाइन और एसेसरीज	1	यूएसडी	10,738.00	483,210.00	15%	555,691.50	191,396.82	747,088.32	769,500.97	854,299.98	854,299.98
6	टेस्ट अडेप्टर (सेट)	1	यूएसडी	2,451.00	110,295.00	15%	126,839.25	43,687.24	170,526.49	175,642.29	194,998.07	194,998.07
7	एसेसरीज सहित कम्बाइनर बाईपास	1	यूएसडी	500.00	22,500.00	15%	25,875.00	8,912.13	34,787.13	35,830.74	39,779.29	39,779.29

	<b>आरएफ कम्बाइनर्स</b>											
8	10 किलोवाट एनबी इनपुट 1-5/8" ओ/पी 4-1/2" (4 नम्बर का 1 सेट) के लिए संतुलित 3पी आरएफ कम्बाइनर	1	यूएसडी	68,010.00	3,060,450.00	15%	3,519,517.50	1,212,227.41	4,731,744.91	4,873,997.26	5,410,778.70	5,410,778.70
	<b>विक्रेता द्वारा संस्थापन एवं पर्यवेक्षण</b>											
9	विदेशी इंजीनियर को भुगतान किए	1	यूएसडी	21,900.00	985,500.00	0%	985,500.00		985,500.00	1,015,065.00	1,126,925.16	1,126,925.16



श्रेणी 'ख' स्टेशनों पर सह-स्थान ट्रांसमीटर के चार प्रसारणकर्ताओं द्वारा सामान्य प्रसारण अवसंरचना में की गई हिस्सेदारी का लागत अनुमान

ख. देशज घटक

क्र.सं.	मद	मात्रा	दर (रु. लाख में)	राशि (रु. लाख में)
1	भवन			
	(क) ट्रांसमीटर और कम्बाइनर कक्ष, केबल के लिए खुदाई, हैवी इयूटी फ्लोरिंग, आंतरिक-विभाजन इत्यादि से संबंधित निर्माण कार्य (वर्ग मीटर)	216	0.08	17.28
	(ख) जमीन को तैयार करने से संबंधित कार्य सहित विभिन्न प्लेटफार्म और शेड जिनका उपयोग जेनरेटर, डिश, विद्युत आपूर्ति यार्ड इत्यादि के लिए किया जाना है, का निर्माण (वर्ग मीटर)	336	0.04	13.44
2	एचटी ट्रांसफार्मर, सम्बद्ध स्विच गियर,	1	24.50	24.50

	केबल, अर्थिंग पिट और विद्युत प्राधिकरणों को भुगतान किए जाने वाले कनेक्शन प्रभार सहित 140 केवीए के संबंधित भार के लिए मुख्य विद्युत आपूर्ति प्रणाली			
3	एएमएफ पैनल, वितरण केबल तथा ध्वनि संबंधी सहायक उपकरण जैसी एसेसरीज सहित 140 केवीए की डीजल जेनरेटर की वैकल्पिक विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था	2	14.00	28.00
4	2x3 टन का वातुनकूलन संयंत्र	1	1.80	1.80
5	अर्थिंग (लॉट)	1	3.00	3.00
6	अग्निशमन, तकनीकी फर्नीचर, विविध यंत्र इत्यादि (लॉट)	1	3.50	3.50
7	आरएफ केबल ट्रे सहित एंटीना और फीडर केबल की व्यवस्था	1	8.00	8.00
	<b>(ख) का उप-जोड़ :</b>			<b>99.52</b>
8	3 प्रतिशत की दर से आकस्मिक व्यय			2.99
	<b>कुल :</b>			<b>102.51</b>
9	कुल लागत के 10 प्रतिशत की दर से			10.25

	व्यावसायिक प्रभार			
10	व्यावसायिक प्रभार के 10.2 प्रतिशत की दर से सेवाकर			1.05
	<b>सकल योग :</b>			<b>113.80</b>



श्रेणी 'ख' स्टेशनों पर सह-स्थान ट्रांसमीटर के चार प्रसारणकर्ताओं द्वारा सामान्य प्रसारण अवसंरचना में की गई हिस्सेदारी का लागत

**अनुमान**

**क. आयातित घटक**

क्र.सं.	विवरण	मात्रा	मुद्रा	एफ.ओ.बी. यूनिट मूल्य	भारतीय रूपए में एफ.ओ.बी. यूनिट मूल्य (एफओबी x ईआर) (ईआर:1 यूएस डॉलर = 45 भारतीय रूपए) 1 यूरो= 55 भारतीय रूपए	भाड़ा एवं बीमा (% में)	सीआईएफ यूनिट मूल्य (भारतीय रूपए का मूल्य x एफ और आई)	सीमा शुल्क (सीआईएफx 0.34443**) (*सीडी 34.443% की दर से)	जमीन यूनिट लागत	आकस्मिक लागत सहित लागत (3% की दर से)	10% की दर से बेसिल सेवा प्रभार और 10.2% की दर से सेवा प्रभार पर सेवा कर सहित कुल लागत (कुल 11.02 प्रतिशत)	कुल मूल्य
---------	-------	--------	--------	----------------------------	---	------------------------------------	---	--	--------------------	--	---	-----------

	एंटीना और आरएफ फीडर सिस्टम											
1	माउंटिंग व्यवस्था सहित डबल केबल फीडिंग के साथ 4x4 पैनल का एंटीना (कम क्षमता वाला)	1	यूएसडी	60,000.00	2,700,000.00	12%	3,024,000.00	1,041,556.32	4,065,556.32	4,187,523.01	4,648,988.05	4,648,988.05
2	2x3-1/8" आरएफ फीडर केबल और एसेसरीज (2x130 मीटर)	1	यूरो	16,663.50	916,492.50	25%	1,145,615.63	394,584.39	1,540,200.01	1,586,406.02	1,761,227.96	1,761,227.96
3	एंटीना स्विच फ्रेम (15 किलोवाट,	1	यूएसडी	14,400.00	648,000.00	12%	725,760.00	249,973.52	975,733.52	1,005,005.52	1,115,757.13	1,115,757.13

	1-5/8" रिजिड लाइन)											
4	(दो आऊटपुट केबल के लिए) ट्यूब सहित डिहाइड्रेटर	1	यूरो	1,499.40	82,467.00	12%	92,363.04	31,812.60	124,175.64	127,900.91	141,995.59	141,995.59
5	एएसएफ से जोड़ने तथा एएसएफ को आऊटपुट केबलों से जोड़ने के लिए रिजिड लाइन और एसेसरीज	1	यूएसडी	3,068.00	138,060.00	12%	154,627.20	53,258.25	207,885.45	214,122.01	237,718.26	237,718.26
6	टेस्ट अडेप्टर (सेट)	1	यूएसडी	2,451.00	110,295.00	12%	123,530.40	42,547.58	166,077.98	171,060.31	189,911.16	189,911.16
7	एसेसरीज सहित कम्बाइनर	1	यूएसडी	500.00	22,500.00	12%	25,200.00	8,679.64	33,879.64	34,896.03	38,741.57	38,741.57



श्रेणी 'ग' स्टेशनों पर सह-स्थान ट्रांसमीटरों के चार प्रसारणकर्ताओं द्वारा सामान्य प्रसारण अवसंरचना में की गई हिस्सेदारी का लागत अनुमान

ख. देशज घटक

क्र.सं.	मद	मात्रा	दर (रु. लाख में)	राशि (रु. लाख में)
1	भवन			
	(क) ट्रांसमीटर और कम्बाइनर कक्ष, केबल के लिए खुदाई, हैवी इयूटी फ्लोरिंग, आंतरिक-विभाजन इत्यादि से संबंधित निर्माण कार्य (वर्ग मीटर)	216	0.08	17.28
	(ख) जमीन को तैयार करने से संबंधित कार्य सहित विभिन्न प्लेटफार्म और शेड जिनका उपयोग जेनरेटर, डिश, विद्युत आपूर्ति यार्ड इत्यादि के लिए किया जाना है, का निर्माण (वर्ग मीटर)	336	0.04	13.44
2	एचटी ट्रांसफार्मर, सम्बद्ध स्विच गियर,	1	20.60	20.60

	केबल, अर्थिंग पिट और विद्युत प्राधिकरणों को भुगतान किए जाने वाले कनेक्शन प्रभार सहित 125 केवीए के संबंधित भार के लिए मुख्य विद्युत आपूर्ति प्रणाली			
3	एएमएफ पैनल, वितरण केबल तथा ध्वनि संबंधी सहायक उपकरण जैसी एसेसरीज सहित 125 केवीए की डीजल जेनरेटर की वैकल्पिक विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था	1	12.00	12.00
4	2x3 टन का वातुनकूलन संयंत्र	1	1.80	1.80
5	अर्थिंग (लॉट)	1	3.00	3.00
6	अग्निशमन, तकनीकी फर्नीचर, विविध यंत्र इत्यादि (लॉट)	1	3.50	3.50
7	आरएफ केबल ट्रे सहित एंटीना और फीडर केबल की व्यवस्था	1	6.00	6.00
	<b>(ख) का उप-जोड़ :</b>			<b>77.62</b>
8	3 प्रतिशत की दर से आकस्मिक व्यय			2.33
	<b>कुल :</b>			<b>79.95</b>

9	कुल लागत के 10 प्रतिशत की दर से व्यावसायिक प्रभार			7.99
10	व्यावसायिक प्रभार के 10.2 प्रतिशत की दर से सेवाकर			0.82
	<b>सकल योग :</b>			<b>88.76</b>

श्रेणी 'ग' स्टेशनों पर सह-स्थान ट्रांसमीटर के चार प्रसारणकर्ताओं द्वारा सामान्य प्रसारण अवसंरचना में की गई हिस्सेदारी का लागत

अनुमान

क. आयातित घटक

क्र. सं.	विवरण	मात्रा	मुद्रा	एफ.ओ.बी. यूनिट मूल्य	भारतीय रुपए में एफ.ओ.बी. यूनिट मूल्य (एफओबी x ईआर) (ईआर:1 यूएस डॉलर = 45 भारतीय रुपए) 1 यूरो= 55 भारतीय रुपए	भाड़ा एवं बीमा (% में)	सीआईएफ यूनिट मूल्य (भारतीय रुपए का मूल्य x एफ और आई)	सीमा शुल्क (सीआईएफx 0.34443**) (**सीडी 34.443% की दर से)	जमीन यूनिट लागत	आकस्मिक लागत सहित (3% की दर से)	10% की दर से बेसिल सेवा प्रभार और 10.2% की दर से सेवा प्रभार पर सेवा कर सहित कुल लागत (कुल 11.02 प्रतिशत)	कुल लागत
----------	-------	--------	--------	----------------------	--	------------------------	--	--	-----------------	---------------------------------	---	----------



	एंटीना और आरएफ सिस्टम फीडर											
1	माउंटिंग व्यवस्था (इनपुट 1-5/8") सहित डबल केबल फीडिंग के लिए 4x4 पैनल का एंटीना (कम क्षमता वाला)	1	यूएसडी	60,000.00	2,700,000.00	12%	3,024,000.00	1,041,556.32	4,065,556.32	4,187,523.01	4,648,988.05	4,648,988.05
2	2x1-5/8" आरएफ फीडर केबल और एसेसरीज (2x100 मीटर)	1	यूरो	12,818.08	704,994.40	25%	881,243.00	303,526.53	1,184,769.53	1,220,312.61	1,354,791.06	1,354,791.06
3	एंटीना स्विच फ्रेम (15 किलोवाट, 1-5/8" रिजिड लाइन)	1	यूएसडी	14,400.00	648,000.00	12%	725,760.00	249,973.52	975,733.52	1,005,005.52	1,115,757.13	1,115,757.13

4	(दो आऊटपुट केबल के लिए) ट्यूब सहित डिहाइड्रेटर	2	यूरो	1,499.40	82,467.00	12%	92,363.04	31,812.60	124,175.64	127,900.91	141,995.59	283,991.18
5	एसएफ से जोड़ने तथा एसएफ को आऊटपुट फिडरों से जोड़ने के लिए रिजिड लाइन और एसेसरीज	1	यूएसडी	3,068.00	138,060.00	12%	154,627.20	53,258.25	207,885.45	214,122.01	237,718.26	237,718.26
6	टेस्ट अडेप्टर (सेट)	1	यूएसडी	2,451.00	110,295.00	12%	123,530.40	42,547.58	166,077.98	171,060.31	189,911.16	189,911.16
7	एसेसरीज सहित कम्बाइनर बाईपास	1	यूएसडी	500.00	22,500.00	12%	25200.00	8,679.64	33,879.64	34,896.03	38,741.57	38,741.57



श्रेणी 'घ' स्टेशनों पर सह-स्थान ट्रांसमीटरों के चार प्रसारणकर्ताओं द्वारा सामान्य प्रसारण अवसंरचना में की गई हिस्सेदारी का लागत अनुमान

ख. देशज घटक

क्र.सं.	मद	मात्रा	दर (रु. लाख में)	राशि (रु. लाख में)
1	भवन			
(क)	ट्रांसमीटर और कम्बाइनर कक्ष, केबल के लिए खुदाई, हैवी इयूटी फ्लोरिंग, आंतरिक-विभाजन इत्यादि से संबंधित निर्माण कार्य (वर्ग मीटर)	180	0.08	14.40
(ख)	जमीन को तैयार करने से संबंधित कार्य सहित विभिन्न प्लेटफार्म और शेड जिनका उपयोग जेनरेटर, डिश, विद्युत आपूर्ति यार्ड इत्यादि के लिए किया जाना है, का निर्माण (वर्ग मीटर)	264	एलएस	3.00
2	एचटी ट्रांसफार्मर, सम्बद्ध स्विच गियर,	50	0.06	3.00

	केबल, अर्थिंग पिट और विद्युत प्राधिकरणों को भुगतान किए जाने वाले कनेक्शन प्रभार सहित 50 केवीए के संबंधित भार के लिए मुख्य विद्युत आपूर्ति प्रणाली			
4	एएमएफ पैनल, वितरण केबल तथा ध्वनि संबंधी सहायक उपकरण जैसी एसेसरीज सहित 70 केवीए की डीजल जेनरेटर की वैकल्पिक विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था	1	10.00	10.00
5	2x1.5 टन का वातुनकूलन संयंत्र	2	0.45	0.90
6	अर्थिंग	1	2.00	2.00
7	अग्निशमन	1	2.50	2.50
8	एंटीना, फीडर केबल हॉस्टिंग और केबल ट्रे	1	4.00	4.00
	<b>उप-जोड़ :</b>			<b>39.80</b>
9	3 प्रतिशत की दर से आकस्मिक व्यय			1.19
	<b>कुल :</b>			<b>40.99</b>
10	कुल लागत के 10 प्रतिशत की दर से			4.10

	व्यावसायिक प्रभार			
11	व्यावसायिक प्रभार के 10.2 प्रतिशत की दर से सेवाकर			0.42
	<b>सकल योग :</b>			<b>45.51</b>

श्रेणी 'घ' स्टेशनों पर सह-स्थान ट्रांसमीटरों के चार प्रसारणकर्ताओं द्वारा सामान्य प्रसारण अवसंरचना में की गई हिस्सेदारी का लागत

**अनुमान**

**क. आयातित घटक**

क्र. सं.	विवरण	मात्रा	मुद्रा	एफ.ओ.बी. यूनिट मूल्य	भारतीय रुपए में एफ.ओ.बी. यूनिट मूल्य (एफओबी x ईआर) (ईआर:1 यूएस डॉलर = 45 भारतीय रुपए) 1 यूरो= 55 भारतीय रुपए	भाड़ा एवं बीमा (% में)	सीआईएफ यूनिट मूल्य (भारतीय रुपए का मूल्य x एफ और आई)	सीमा शुल्क (सीआईएफx 0.34443**) (**सीडी 34.443% की दर से)	जमीन यूनिट लागत	आकस्मिक लागत सहित (3% की दर से)	10% की दर से बेसिल सेवा प्रभार और 10.2% की दर से सेवा प्रभार पर सेवा कर सहित कुल लागत (कुल 11.02 प्रतिशत)	कुल लागत
----------	-------	--------	--------	----------------------	--	------------------------	--	--	-----------------	---------------------------------	---	----------

	एंटीना और आरएफ फीडर सिस्टम											
1	माउंटिंग व्यवस्था (इनपुट 1-5/8") सहित डबल केबल फीडिंग वाला 4 बे साइड एचपी एंटीना (20 किलोवाट)	1	यूएसडी	11,250.00	506,250.00	12%	567,000.00	195,291.81	762,291.81	785,160.56	871,685.26	871,685.26
2	2x1-5/8" आरएफ फीडर केबल और एसेसरीज (2x60 मीटर)	1	यूरो	7,690.85	422,996.75	25%	528,745.94	182,115.96	710,861.90	732,187.76	812,874.85	812,874.85
3	एंटीना स्विच फ्रेम (15 किलोवाट, 1-5/8" रिजिड लाइन)	1	यूएसडी	14,400.00	648,000.00	12%	725,760.00	249,973.52	975,733.52	1,005,005.52	1,115,757.13	1,115,757.13







## अनुलग्नक-V

सामान्य प्रसारण अवसंरचना की ऐसी मर्दे जिन्हें कोई आशय-पत्र धारी दस वर्ष की परिबंधन अवधि के भीतर वापस नहीं ले सकता है

1. अनुलग्नक : IV-क में सूचीबद्ध एंटीना और आरएफ फीडर पद्धति।
2. अनुलग्नक : IV-क में सूचीबद्ध आरएफ कम्बाइनर।
3. सामान्य प्रसारण अवसंरचना और अलग-अलग आशय-पत्र धारी के लिए किया गया भवन निर्माण कार्य।
4. पूरी व्यवस्था के लिए विद्युत आपूर्ति व्यवस्था।
5. पूरी व्यवस्था के लिए वैकल्पिक विद्युत आपूर्ति व्यवस्था।
6. सामान्य प्रसारण अवसंरचना के लिए वातानुकूलन प्रणाली।
7. सामान्य प्रसारण अवसंरचना पर संस्थापित अग्निशमन, तकनीकी फर्नीचर, विविध यंत्र इत्यादि।